न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम कैम्प-सांकरवाड़ा

मु.नं. 3/14 ता. रज्. 2.1.14

पीठासीन अधिकारी – जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

हरसहाय पुत्र कोरया
रामसिंह
शिम्भूदयाल } पि० विर्दै } समस्त जाति मीना निवासी जाँद कलाँ तहसील टोडाभीम
हेमराज
कैलाश

(सायलान)

बनाम

सांवल (मृतक) } पि० ग्यारसा जाति मीना निवासी जाँदकलाँ तहसील टोडाभीम
गिरजि

तहसीलदार (सबरजिस्ट्रार) टोडाभीम

(गैरसायलान)

उपस्थिति – श्री सुशील कुमार जिंदल एडवोकेट (सायलान)
श्री रामखिलाड़ी गुप्ता एडवोकेट (गैरसायलान) 1व2

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 9.5.16

प्रार्थीयान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है खसरा नं. 193 रकबा 23 ऐयर ग्राम जाँद की खातेदारी गैरसायलान नं. 1 व 2 के नाम दर्ज है किन्तु संवत 2057 यानि पिछले 18 वर्ष से सायलान का निरन्तर कब्जा है। खाता संख्या 57 मे दर्ज ख.नं. 157 रकबा 8 ऐयर, 160 रकबा 5 ऐयर की खातेदारी गैरसायलान नं. 1 व 2 के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज है शेष 1/2 हिस्सा मूलवाद के प्रतिवादी नं. 3 ता. 6 के नाम दर्ज है। गैरसायलान एवं मूलवाद के प्रतिवादी नं. 3 ता. 6 के नाम ख.नं. 157, 160 के अलावा अन्य भूमि खाता नं. 67 मे है। गैरसायलान ने आपसी तौर पर बँटवारा कर रखा है। जिसमे गैरसायलान

(लगातार)

Scanned by CamScanner

नं. 1 व 2 के हिस्सेवार कब्जे मे ख.नं. 157 व 160 आराजी का / गैरसायलान का सं. 2051 से पूर्व कब्जा था लेकिन सावन बुदी 12 संवत 2051 के पश्चात सायलान का निरन्तर कब्जा है। उक्त ख.नं. 193 रकबा 23 एयर, सम्पूर्ण व 157 रकबा 8 एयर, 160 रकबा 5 एयर मे हिस्सा 1/2 को गैरसायलान ने सायलान नं. 1 हरसहाय s/o कौरया तथा सायलान नं. 2 ता. 5 के पिता बिर्जा पुत्र कोरया को मिति श्रावन बुदी 12 संवत 2051 मे बिल एवज Rs. 15000/- रुपया में विक्रय कर क्रेता गण को मौके पर कब्जा करा दिया तथा विक्रय नामा बिर्जा की बही मे लक्ष्मण लाल मीना की कलम से तहरीर व तकमील करवाकर विक्रेतागण ने निशानी व हस्ताक्षर किये हैं। इसप्रकार उक्त वर्णित आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज एवं दखील है। लोंग टर्म पजेशन के आधार पर सायलान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। वाका दिनांक 2.12.13 का है कि उक्त वर्णित आराजी मे सरसों की फसल की बुवाई कर रहे थे कि अचानक गैरसायलान 1 व 2 आये और कहने लगे कि जमीन हमारे नाम है तुम अपना कब्जा छोड दो। सायलान ने कहा कि यह जमीन आज से करीब 18 वर्ष रुपये 15000/- मे खरीद कर तुमने राजी खुशी कब्जा दे दिया। तब से ही निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तुमने हमारे नाम रजिस्ट्री कराने की भी कही थी किन्तु रजिस्ट्री नहीं कराई है। इस पर गैरसायलान नाराज हो गये और कहने लगे कि इस जमीन को किसी तद्दृढ वाले व्यक्ति को विक्रय कर क्रेता को रजिस्ट्री करा देंगे। इस प्रकार यदि गैरसायलान अपने कुचेष्टा मे कामयाब हो गये तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि उक्त आराजीयात से सायलान को बेदखल नहीं करने, दीगर व्यक्तियो रहन व्यय नहीं करने के लिए गैरसायलान को पाबंद फरमावें।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर गैरसायलान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैरसायलान नं. 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए, उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दौराने दावा गैरसायल नं. 1 के फौत हो जाने पर उनके नाम के आगे मृतक शब्द लिखने के आदेश दिये गये। गैरसायल नं. 1 व 2 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब पेश किया। ख.नं. 193 रकबा 23 एयर एवं ख.नं. 157, 160 मे हिस्सा 1/2 की खातेदारी गैरसायलान के नाम है, तथा काबिज काश्त है सांवल लाऔलाद फौत हुआ है उसके कायम मुकाम कानूनी वारिस उसके खास भाई गैरसायल नं. 2 गिरिराज ही है एवं वह ही काबिज है। प्रार्थनापत्र मे वर्णित समस्त तथ्य एकदम गलत है, उक्त वर्णित भूमि

(लगातार)

का बेचान दस्तखत, वीरू को सावन बुदी 12 संवत 2051 को नहीं किया गया है नहि कब्जा दिया गया है नहि बही या अन्य प्रकार की दस्तावेज में लिखा पढ़ी की गई है। लिखावट बनावटी एवं फर्जी है। सायलान ने बेचान राशि 15,000/- रुपये बही में लिखित होना दर्ज किया है किसी भी भूमि का मूल्य 100 रुपये से अधिक है, बेचान है तो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से ही होना चाहिए तथा ऐसे विक्रय पत्र के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है रेवन्यू कोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। सायलान का प्रार्थना पत्र 07 R.11 CPC के तहत खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी वकील ने दर. 026 R.9 CPC पेश कर मौका रिपोर्ट तलब फरमाने पेश की। इस प्रार्थना पत्र पर तीनों बहस हुई। बहस सुनकर यह दर. स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की गई।

मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराकर तथा कथन किया कि गत 18 वर्षों से सायलान काबिज काश्त है, अतः सायलान को तादावा फैसला पाबंद फरमाया जावे। गैरसायलान के वकील ने बहस में कथन किया कि गैरसायलान खातेदार काश्तकार है, काबिज है, सायलान का प्रार्थना पत्र एकदम गलत है। रुपये 100/- रुपये से अधिक मूल्य की राशि की सम्पत्ति का दस्तावेज पंजीकृत होना आवश्यक है। तथा ऐसे लिखावट के प्रकरणों के सुनवाई का क्षेत्राधिकार रेवन्यू कोर्ट को नहीं की लिहाजा 07 R.11 CPC के तहत यह प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। यह प्रार्थना पत्र संवत 2051 में बही में लिखावट के आधार पर पेश किया है। वकील अप्रार्थी का यह कथन कि 100/- रुपये मूल्य से अधिक की सम्पत्ति का रजि० दस्तावेज होना चाहिए तथा लिखावट के आधार पर प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, रेवन्यू कोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक के अनुरूप है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

खोला योग्य उचित प्रतीत नहीं होता है अत: पर्यवेक्षण अपील निरस्त खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 9.5.16 को कैम्प कोर्ट सांकरखण्ड में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)

Scanned by CamScanner